© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 6 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

बाल श्रम एक सामाजिक अभिषाप

डॉ. हेमलता
आडिटर,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश– वर्तमान में कोई भी राष्ट्र की प्रगति की वीडियो पुरानी तीव्र गति से चढ रहा है यह इस पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों में कितनी ताकत है कितना उत्साह है और उन्हें कितना प्रोत्साहित किया जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी से एक कदम आगे होती है भारत में बाल श्रम एक जटिल मुझा है। एक स्तर पर किसी बहाने की आड में बाल श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बचपन ऐसी उम्र होती है जब उन्हें बाल जीवन का आनन्द उठाने, खेलने–कूदने स्कूल में जाकर पढने–लिखने और माता–पिता के साहचर्य का मौका मिलना चाहिए। लेकिन भारत में सभी को इस आदर्श स्थिति की कोई गारंटी नहीं मिल पाती। वर्तमान समय में बच्चे किसी भी देश के भावी संसाधन और भविष्य होते हैं। किसी देश समाज के बच्चों को जिस प्रकार का पोषणात्मक वतावरण सुविधाएँ शिक्षा संस्कार आदि प्राप्त होते है उसी के अनुरूप उस देश के बच्चों का मानसिक, शारीरिक, संसाधनात्मक विकास सम्भव हो पाता है। तमान में आज हमारा देश अधिक एवं तकनीकी क्षेत्र की महाशक्ति बनता जा रहा है लेकिन अनैतिकता, भ्रष्टाचार, शोषण आपराधिक हिंसा हीनता बोध से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। बाल श्रम और शोषण कहीं न कहीं इससे गहरे से सरोकार राहता है। भारत में इस समय कुल जनसंख्या के 5.2 प्रतिशत बाल श्रमिक है तथा कुल कार्यबल का लगभग 14 प्रतिशत बच्चे हैं और प्रत्येक 10 श्रमिकों पर एक बच्चा है। प्रस्तुत शोध आलेख में बाल श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं के उन्मूलन हेतु अब तक किये गये प्रयासों एवं उन कारणों का उत्तर ढूढ़ने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– बाल श्रम शोषण सरोकार अनैतिकता ।

बाल श्रमिकों के मानक पर विश्व में अनेक मत है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 वर्ष उकके श्रमिक को बाल मजदूर माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार 18 वर्ष से कम अमरीकी संविधान में 12 से कम ब्रिटेन में 13 वर्ष से कम ग भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का ऐसा बालक को जीविकोपार्जन अथवा पारिवारिक कर्ज चुकाने के लिए काम में लगा है बाल मजदूर कहलाता है।[1] राष्ट्रीय सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई में 12 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करने वाला बाल श्रमिक 50 से 150 रूपये तक ही कमा पाता है जबकि कुछ सो केयल जन पर काम कसो है। योग पतियों के अमानवीय व्यवहार वेतन में कटौती श्रम की असंगठनात्मकता अपर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा मनोरजन की व्यवस्था के बीच नशा है आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर

चले जाते हैं । प्रत्येक बालक समाज से वह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है जो अपनी सामध्य और क्षमताओं के अनुसार समाज उसे दे सकता है। बच्चों को एक ऐसा वातावरण दिया जाना जरूरी है जिसमें वे एक स्वतंत्र और गरिमामव जीवन जीए और समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर सुलम हो बच्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने मूलभूत अधिकारों से बंचित और उसे बहुत से आर्थिक कार्यकलापीं में ल्गे देखा जा सकता है।[2]

आज भारत में कुल जनसंख्या के 5.2 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं । 5 से 14 वर्ष के श्रमिकों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में और न्यूनतम प्रतिशत लक्षद्वीप में है जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 12.34 प्रतिशत और 0.19 प्रतिशत हैं अधिक चौकाने बाला एक तथ्य यह है कि भारत के कुल कार्यबल का लगभग 11 प्रतिशत बच्चे हैं तथा प्रत्येक दस श्रमिकों पर एक बच्चा है। भारत में जहाँ जनसंख्या के 40 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति और दरिद्रता की स्थितियों में रह रहे है वहाँ बाल श्रम एक बहुत पेचीदा विषय है। यदि भारत में बाल श्रम की समस्या को देखें तो बहुत सी बाते इसके लिए उत्तरदायी मानी जा सकती जिसमें आवास की समस्या ऋणग्रस्तता की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, नेतृत्व की समस्या सामाजीकरण की समस्था की समस्या वैवाहिक समस्या तथा मनोरंजन की समस्या प्रमुख है। इस संदर्भ में यह तथ्य भी सामने आया कि श्रम करने के कारण बच्चे अशिक्षित रह जाते है और वे अपने मिल अधिकारों एव शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पारी हैं संयुक्त परिवार बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी बढ़ती हुई महगाई भीतिक यस्तुओं के प्रति बढ़ता आकर्षण आदि के कारण भी इस समस्या को बढ़वा मिला है।

बाल श्रम की समस्या का एक प्रमुख कारण गरीबी है प्रायः यह देखा जा सकता है कि बच्चे गरीबी के कारण काम करने को मजबूर हो जाते है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय श्रम बाजार में लगभग 50 लाख आर्थिक दृष्टि से क्रिया क्रियाओं में रोजगार है, जो देश में 5.14 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत से अधिक है। भारत में बाल श्रम की समस्या अंग्रेजो के समय से ही प्रचलित हैं। उस समय भी बच्चे खेतो में काम किया करते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा राजकीय श्रम आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1901 में बनाए गये खदान अधिनियम में सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम पर लगाना अपराध माना जाने लगा। 1922 में कारखाना एक्ट बना जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया और उनके काम करने की अवधि 8 घन्टे निश्चित की गई। सन् 1931 में शाही श्रमिक कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो कानून बनाने में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को फैक्ट्री में काम करे पर रोक लग गयी और यह भी व्यवस्था की गई कि 12 वर्ष से अधिक उसका बालक डॉक्टरी प्रमाणपत्र के आधार पर ही काम कर सकता है। बालक मजदूर से 5 घंटे से अधिक एक दिन में काम नहीं कराया जा सकता।[3] बालक बनक कानून सन् 1933 में लागू किया गया इसके अन्तर्गत माता–पिता अपने बच्चों को श्रम मालिकों के पास बनाक नहीं रख सकते। इसी तरह बाल श्रम को रोकने हेतु 1838 का कानून जिसके अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नौकर बना कर नहीं रख सकते है। स्वतंत्रता के बाद सरकार इस संबंध में जागरुक है और संविधान में अनेक संशोधनों के माध्यम से बच्चों को संरक्षण देने का प्रयास किया गया।

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 एवं 68 के अनुसार कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाने में काम करने से प्रति किया गया है। बालक श्रम अधिनियम, 1986 की धारा 3 में सनिर्माण, रर–रखाव,

परिवहन एवं रेलवे में आहार प्रदान आदि से संबंधित व्यवसायों में 14 वर्ष से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करती हैं।[4] देश में बाल श्रमिकों की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त 12 जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत देश में लगभग 9000 स्कूल चल रहे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख बच्चे हैं। सितम्बर 2012 में बाल श्रम अधिनियम 1986 में सुधार लाने के लिए एक संशोधन विधेयक को भी अनुमोदित कर दिया गया, जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को न केवल परिसंकटमय उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में अपितु सभी प्रकार के पेशों, कार्यों तथा व्यवसायों में बच्चों से कार्य करना कानूनी रूप से अपराध माना जायेगा बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला अधिनियम जुलाई–अगस्त 2009 में पारित किया गया था एवं एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ है।[5] इस अधिनियम में 6.14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।

वर्तमान में बाल श्रम संबंधी समस्या एक वैश्विक समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सर्वसाधारण को खुले मन से प्रयत्न करना होगा और पूंजीपतियों पर अंकुश लगाना होगा और सरकार को अपने द्वारा बनाये गये कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा बाल मजदूरी के कारणों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और कम मजदूरी दर आदि प्रमुख हैं। इसलिए विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यक्रमों का सीधा लाभ पीढ़ित बच्चों को दिलाने का प्रयास करना चाहिए जिससे उन परिवारों को वैकल्पिक आय का स्रोत मिल सके जो इन बाल मजदूरों की कमाई पर निर्भर होते है। ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य, पोषाहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते कपड़े मिट्टी का तेल आदि अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए जिससे उन परिवारों में मृत्युदर और जन्मदर कम हो, उनकी औसत आयु बढे।

बाल श्रमिकों को इस समस्या से मुक्त कराने के लिए अनेक पुनर्वास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। व्यवयास में लगे छोटे सदस्यों को प्रशिक्षण एवं स्थानीय ग्रामीण बैंकों से ऋण दिलवा कर उनकी स्थिति मजबूत करना चाहिए। बाल श्रमिकों को शिक्षा भी दी जानी चाहिए। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बाल मजदूरों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। देश में स्कूलों का अभाव है और जहाँ है भी वह पहुँच से बाहर है अगर गरीब बच्चे किसी तरह पढ़–लिख भी गये तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। रोजगार शिक्षा ही बालश्रम पर अंकुश लगा सकती है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए 10वीं योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कवर किये गये जिलों को सख्या 100 से बढ़कर 250 हो गयी है दोपहर का भोजन कार्यक्रम से मिलने वाली खाद्य सुरक्षा का बाल श्रमिकों की सख्या में कम करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सबको शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किये गये सर्व शिक्षा अभियान से भी बच्चों के बीच साक्षरता बढ़ी है।

भारत सरकार और अमरीकी श्रम विभाग ने देश के 21 जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इंडस (इडी–पूएस) नाम की एक संयुक्त परियोजना आरंभ की है। इसका लक्ष्य एकीकृत रूप से परियोजना क्षेत्र में जोखिमकारी उद्योगों में बाल श्रम की पूरी तरह उन्मूलन करना है। इस योजना से 80,000 बच्चे लाभावित हो रहे हैं। बाल श्रम (संरक्षण एवं नियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खतरनाक समझे जाने वाले 64 देशों में 14 से कम उम्र के बच्चों को लगाने पर रोक है। अब यह दायरा घर और होटल तक बढ़ा दिया गया है।

बाल श्रम उन्मूलन अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए बाल श्रम को एक सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हुए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए। इस दिशा में परिवर्तनों के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रम तैयार करने होंगे और नीतियों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पाण्डेय, डॉ0 बालेश्वर, ''भारत में बाल श्रम एवं कल्याण'' उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकामदी, लखनऊ, पृ0 65
2. गुप्ता, डॉ0एस0पी0 एवं अग्रवाल, प्रो0 एम0डी0, भारतीय अर्थव्यवस्था, इना श्री पब्लिर्शस जयपुर, पृ0 229
3. उपाध्याय, उमेश, वर्तमान सामाजिक समस्याएँ, रितु पब्लिकेशन्स, पृ0 47
4. सक्सेना, डॉ0एस0सी0 श्रम समस्याएँ एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ पृ0 169
5. प्रतियोगिता दर्पण समसामयिक वार्षिकी, 2015, पृ0 78